Suraj bari (234)

100

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 725] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2011/वैशाख 7, 1933
No. 725] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2011/VAISAKHA 7, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2011

का.आ. 844(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क के 183.5 कि.मी. से 362.160 कि.मी. तक (बामनबोर से समाख्याली से गांधीधाम सेक्शन) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण), नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना का.आ. 2464(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2010 का, उन संबंधित बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, अधिसूचित करती है कि गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क के 254.000 कि.मी. – 306.000 कि.मी. (नया चैनेज 254.537 कि.मी. – 307.034 कि.मी.) मरापोरे से समाख्याली खण्ड के उपयोग के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यांत्रिक यानों पर निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर फीस उद्ग्रहित और संग्रहित किया जाएगा और वह प्राधिकरण को अपने पदाधिकारियों या किसी ठेकेदार माध्यम से उक्त फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :

1485 GI/2011

(233)

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रकार	प्रति कि.मी. फीस की आधार दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
2.	हल्के वाणिज्यक वाहन, हल्के मालवाहन या मिनी बस	1.05
3.	बस/ट्रक	2.20
4.	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
5.	भारी निर्माण मशीनरी (भा नि.म) या अर्थ मूविंग उपकरण (अ मू उ) अथवा बहुधुरी यान (एमएवी) (चार से छह धुरी तक)	3.45
6.	बड़े आकार के यान (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

टिप्पणियां :-

1. फीस 47.497 कि.मी. लम्बाई के लिए उदग्रहित और संग्रहित की जाएगी तथा सम्पूर्ण पथकर सेक्शन के पूर्ण हो जाने पर, उक्त तालिका के स्तंभ(3) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर 52.497 कि.मी. लंबाई के लिए फीस उदग्रहित और संग्रहित की जाएगी ।

2. स्थानीय गैर-वाणिज्यक वाहनों को वर्ष 2007-08 के लिए आधार दर पर एक सौ पचास रुपये का मासिक पास जारी किया जाएगा ।

3. फीस गुजरात राज्य के कच्छ जिले में सूरजबाड़ी गांव के निकट 286.655 कि.मी. पर स्थित फीस प्लाजा पर संग्रहित होगी ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/526/10-11/सी.ओ./बी.सी. पालनपुर (254.0-306.0)]

बी. बी. मोहापात्रा, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2011

S.O. 844(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government

entrusted the stretch from Km. 183.5 to Km. 362.150 (Bamanbore to Samakhiyali to Gandhidham section) of National Highway No. 8A in the State of Gujarat, to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and in supercession to the notification number S.O. 2464 (E) dated the 9th November, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fee at the base rate specified in column (3) of the following Table, on the type of mechanical vehicles specified in column (2) of the said table, for the use of the Garamore to Samakhiyali section from Km 254.000 - Km 306.000 (new Chainage Km 254.537 – Km 307.034 of National Highway No. 8A in the State of Gujarat and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee namely:-

Table

S. No.	Type of vehicles.	Base rate of fee per km (in rupees).
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle.	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus.	1.05
3.	Bus or Truck.	2.20
4.	Three Axle Commercial Vehicle.	2.40
5.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Four to six axles).	3.45
6.	Oversized Vehicles (seven or more axles).	4.20

Notes :

1. Fee shall be levied and collected for 47.497 km length and on completion of full tolling section, fee shall be levied and collected for 52.497 km length at the base rate specified in column (3) of above table.

2. The monthly pass for local non-commercial vehicles shall be issued at the base rate for the year 2007-2008 of rupees one hundred and fifty.
3. The fee shall be collected at the fee plaza situated at km. 286.655 near village Surajbari in Kutchh district in the State of Gujarat.

[F. No. NHAI/13013/526/10-11/CO/GC Palanpur (254.0-306.0)]

B. B. MOHAPATRA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054